



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

10 अग्रहायण 1947 (श10)
(सं० पटना 1745) पटना, सोमवार, 1 दिसम्बर 2025

सं० 09/न०वि०(मा०प्ला०)-14/2024/12052—न०वि० एवं आ०वि०
नगर विकास एवं आवास विभाग

संकल्प

25 नवम्बर 2025

विषय:—राज्य में सुनियोजित एवं गुणवत्ता युक्त शहरी विकास हेतु 11 नये सैटेलाईट टाउनशिप/ग्रीनफिल्ड टाउनशिप के विकास के सैद्धान्तिक सहमति तथा प्रस्ताव तैयार करने के संबंध में।

राज्य के प्रमुख शहरों की बढ़ती जनसंख्या, मास्टर प्लान आधारित विकास की अपरिहार्यता एवं भविष्य के जनसंख्या दबाव, शहरों की बढ़ती आवश्यकताओं को देखते हुए राज्य में नियोजित, पर्यावरण-सम्मत एवं आधुनिक टाउनशिप के विकास की आवश्यकता है। राज्य के प्रमुख शहरों के आसपास विकास योग्य भूमि को चिन्हित करते हुए नये सैटेलाईट टाउनशिप/ग्रीनफिल्ड टाउनशिप का विकास किया जाएगा। इस हेतु बड़े भूखण्डों को चिन्हित कर इन क्षेत्रों में सड़कों का नेटवर्क, जनउपयोगी सुविधाओं यथा—पार्क, खुले मैदान, नाला, ड्रेनेज आदि के साथ टाउनशिप डेवलपमेन्ट का मॉडल तैयार किये जाने की आवश्यकता है।

2. टाउनशिप के विकास से सुनियोजित शहरीकरण एवं मास्टर प्लान आधारित विकास सुनिश्चित होगा जिससे नये आर्थिक गतिविधि केन्द्रों का निर्माण होगा और नागरिकों को उच्च गुणवत्ता वाली शहरी सुविधा मिलेगी। इस प्रकार इन नए सैटेलाईट टाउनशिप/ग्रीनफिल्ड टाउनशिप के विकास से मौजूदा नगरों पर भार कम होगा एवं शहरी विस्तार योजनाबद्ध रूप से हो सकेगा एवं निजी/संस्थागत निवेश में वृद्धि होगी।
3. प्रथम चरण में राज्य के 11 शहरों में सैटेलाईट टाउनशिप/ग्रीनफिल्ड टाउनशिप विकसित किया जाएगा :—
 - (i) राज्य के 09 प्रमंडलीय मुख्यालय शहर यथा—पटना, गया, छपरा, मुजफ्फरपुर, मुंगेर, पूर्णियाँ, भागलपुर, दरभंगा एवं सहरसा।
 - (ii) सोनपुर
 - (iii) सीतामढ़ी (सीतापुरम)

4. प्रत्येक सैटेलाईट टाउनशिप/ग्रीनफिल्ड टाउनशिप हेतु उपयुक्त स्थल एवं विकास मॉडल (Mode of Development) का चयन करने के लिए टाउनशिप चयन समिति का गठन निम्न प्रकार किया जाता है :-
- | | | |
|-------|--|-------------|
| (i) | मुख्य सचिव | — अध्यक्ष |
| (ii) | विकास आयुक्त | — सदस्य |
| (iii) | अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग | — सदस्य |
| (iv) | अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग | —सदस्य सचिव |
5. सैटेलाईट टाउनशिप/ग्रीनफिल्ड टाउनशिप का विकास निम्नलिखित तरीके से किया जा सकेगा:-
- Town Planning Scheme Model
 - Land Acquisition
 - Regulated Development
6. मूलभूत अवसंरचना यथा— सड़कें, जलापूर्ति, सिवरेज एवं ड्रेनेज, विद्युत प्रणाली एवं स्ट्रीट लाइटिंग, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, हरित क्षेत्र एवं पार्क, सार्वजनिक उपयोगितायें एवं सामुदायिक सुविधायें जरूरत अनुसार शासकीय विभाग/शासकीय उपक्रम तथा टाउनशिप विकास के लिए चयनित संस्थान के द्वारा उपलब्ध/विकसित, संचालन और रखरखाव किया जाएगा।
7. प्रस्तावित टाउनशिप की योजना संबंधित कार्य विभाग द्वारा योग्य सूचीबद्ध प्लानिंग फर्मों/एजेंसियों के माध्यम से किया जा सकेगा।
8. उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में राज्य में सुनियोजित एवं गुणवत्ता युक्त शहरी विकास हेतु 11 नये सैटेलाईट टाउनशिप/ग्रीनफिल्ड टाउनशिप के विकास हेतु सैद्धान्तिक सहमति तथा प्रस्ताव तैयार करने की स्वीकृति प्रदान की गयी।
- आदेश:—आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले अंक में सर्व साधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाए।

आदेश से,
राजीव कुमार श्रीवास्तव,
अपर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 1745-571+200-डी0टी0पी0
Website : <https://egazette.bihar.gov.in>